तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजूराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 91 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08..20	अपीलार्थी राजूराम विश्नोई, निवासी 564, मंगलनगर, गुड़ा विश्नोईयान पं.स. लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.06.20 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् अध्यक्ष राजाराम आश्रम (प.) ट्रस्ट ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर के नाम से लीजडीड दिनांक 12.03.2017 का पंजीयन दिनांक 17.03.2017 को पु.सं. –01, जिल्द संख्या 232, पृष्ठ संख्या 184, क्र.सं. 201703063100382 के द्वारा किया गया तथा आवंटित भूमि के लीजडीड करने से पूर्व श्रीमान् तहसीलदार / पटवारी हलका कांकाणी के द्वारा भौतिक रूप से किये गये निरीक्षण की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Ind
Date: 2020.11.21 13:54:17 IST
Reason: SelfAttested